अर्धचन्द के दर्शन से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे

इस्लामिक फ़िक्ह एकेडमी इण्डिया के उन्तीसवें फ़िक्ही सेमीनार का आयोजन 23 से 24 सफरुल मुजफ्फ़र 1443 हिजरी दिनांक 1 से 2 अक्टूबर सन् 2021 ई0 के विषयों में से एक महत्त्वपूर्ण विषय ''अर्धचन्द के दर्शन से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे'' का है, इस विषय पर प्राप्त होने वाले समस्त लेखों, फिर तैयार होने वाले वर्तमान मुद्दों और इस पर होने वाले प्रस्तावों के प्रकाश में निम्नलिखित प्रस्ताव पूरे किये गयेः

1- पहली तारीख को आसमान पर चांद के निकलने की जगह को ''मतला'' कहते हैं जिन स्थानों पर चांद सधारण्तः एक दिन दिखाई देता है, उनका मतला शरीअत में एक माना जाएगा, और ऐसी दो स्थानों पर जहां चांद एक दिन पहले या बाद में नज़र आता है तो उनका मतला शरीअत में अलग माना जायेगा।

2- जिन क्षेत्रों का मतला एक है अगर उनके किसी क्षेत्र में दर्शन निश्चित हो जाए तो देश के दूसरे क्षेत्रों में मुसलमानों पर अपने स्थानीय काज़ी या हिलाल कमेटी की घोषणा की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य किया जाता है। अलबत्ता स्थानीय क़ाज़ी और हिलाल समिति को चाहिए कि शरीयत के अनुसार पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने के बाद कोई निर्णय लें।

3- आंखों से देखना सम्भव है या नहीं और मतला साफ रहेगा या नहीं, इसको जानने के लिए खगोलीय एवं मौसम विज्ञान की मदद लेने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि चन्द्र दर्शन का प्रमाण दूरय दृष्टि पर आधारित होगा, न कि खगोलीय गणनाओं पर।

4- अगर 29 तारीख को खगोलीय दृष्टिकोण सम्भव नहीं है, तो साक्ष्य स्वीकार करने में अत्याधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

5- मतला साफ न होने का मतलब है कि ज़मीन से चांद को देखने में किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे वह धूल कण हो या पर्यावरण का घनत्व आदि।

6- मतला साफ होने की दशा में चांद रमजान का हो या ईद और बक़रीद का, एक बडे संख्या को चांद नज़र आना आवश्यक है।

7- चांद देखने के लिए वर्तमान समय में इतना ही पर्याप्त है कि चांद देखने वाला समाज में झूठा न माना जाये और अनैतिकता में बदनाम न हो।

8- चांद देखने वाले को चाहिए कि क़ाज़ी जहां चांद देखने का निर्णय करता है, वहां क़ाज़ी के पास और जहां चांद देखने की समिति निर्णय करती है वहां कमेटी के पास जाकर गवाही दे। क्योंकि चांद का देखना और उसकी गवाही की व्यवस्था भी इबादत (पूजा) और सवाब (पुण्य) का कार्य है।

9- जब क़ाज़ी और चांद देखने वाली कमेटी तक प्रमाण न पहुंचे तो देखने वाले पर तत्काल गवाही देनी आवश्यक है, बिना किसी कारण इसमें देरी करना उचित नहीं है।

10- जहां क़ाज़ी या चांद देखने की कमेटी चांद देखने का निर्णय करती है तो उस क्षेत्र के समस्त मुसलमानों पर इन फ़ैसले पर मानना आवश्यक है, अन्य क्षेत्रों या पूरे देश के मुसलमानों पर यह सूचना लागू नहीं होगा, जब तक कि वहां के ज़िम्मेदार घोषणा न करें।

11- रेडियो, टेलीविजन या अन्य सूचना के माध्यम के द्वारा क़ाज़ी या चांद देखने की समिति के स्पष्ट शब्दों मे उसी की तरफ संबोधित करके घोषणा हो तो यह घोषणा प्रमाणिक और कार्य करने योग्य होगा, चाहे घोषणा करने वाला कोई भी हो।

12- धूल कण या अधिक्तम घनत्व वाले वातावरण वाले देशों में, खगोल विदों की गणना पर निर्भर होने के बजाए, आस पास के देशों में जहां चांद देखना सामान्य रूप से स्पष्ट रहता है वहां का दर्शन विश्वसनीय होगा।

13- देश के कई प्रदेशों में चांद देखने का निर्णय हो जाये और यह समाचार प्रमाणिक माध्यमों से दूसरे प्रदेशों तक पहुंच जाये, और झूठ की कोई सम्भावना बूद्धिपूर्वक रूप से बाक़ी न रहे, तो इस समाचार को प्रसिद्ध दरजे में रखकर दूसरे प्रदेश के क़ाज़ी या चांद देखने की कमेटी निर्णय कर सकती है।

14- किसी प्रदेश या शहर में चांद देखने का प्रमाण न होने की दशा में जबकि पास के क्षेत्रों में चांद देखा जा चुका हो, घोषणा करने का अधिकार क़ाज़ी या चांद देखने की कमेटी को प्राप्त है, इनके न होने की दशा में यह अधिकार किसी ऐसे विद्वान या मुफ्ती को होगा जिसकी तरफ लोग दीनी मामलों में विचार-विमर्श करते हैं। अन्य लोगों द्वारा किया जाने वाला निर्णय या घोषणा मान्य न होगा।

15- जन साधारण या अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा घोषणा के मामले में यदि लोग रोजा तोडते हैं, तो क़ज़ा रोज़ा रखने की आवश्यकता होगी।

16- एक शहर या प्रदेश में एक ही हिलाल कमेटी होनी चाहिए, कई कमेटियां होने पर आपसी तालमेल एवं समानता ज़रूरी है। ताकि उम्मत को अराजकता से बचाया जा सके।

17- यह सेमीनार विद्वान, दीनी व मिल्ली संस्थाओं और मिल्लत के ज़िम्मेदार व्यक्तियों से निवेदन करता है कि चांद देखने के सम्बन्ध में वह एक कमेटी की स्थापना करे जो देश के समस्त प्रदेशों में स्थापित चाँद की घोषणा करने वाले संस्थानों से सर्म्पर्क करके मामूलात प्राप्त करके और शरई सिद्धान्तों की दृष्टि में खोज के बाद प्रादेशिक कमेटीयों को विश्वास में लेते हुए देशव्यापी स्तर पर चाँद देखने की घोषणा करे। कोशिश की जाये की इसमें समस्त समुदायों, सम्प्रदायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों, ताकि मतभेद व अराजकता न उत्पन्न हो।

18- यह सेमीनार मदारिस इस्लामिया से निवेदन करता है कि विगत वर्षों की तरह पाठ्क्रम में खगोल विज्ञान को एक अनिवार्य शीर्षक की दशा में सम्मिलित की जाये और अध्यापक व विद्यार्थी की इस तरह प्रशिक्षित किया जाये कि कला विशेषज्ञों के कार्यक्रम भी रखे जायें।

☆☆☆

नोटः 29वां फ़िक्ही सेमीनारए 23 से 24 सफरुल मुजफ्फ़र 1443 हिजरी दिनांक 1 से 2 अक्टूबर सन् 2021 ई0 अल माहदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद।